ह जज

ऊप्राप्त / पुन:
ा हो।

ल ऊप्राप्त।
19 को पेश हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मि0नं0 926/दावा/2019 हंसराज बनाम् गोपाल

23/07/2019

त्हसीलदार खानपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.03.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। अधिवक्ता वादी को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

अत: न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.03.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवपुरा की जमाबंदी सं0 2069–72 की खाता सं0 36 की 10 किता रकबा 17.01 बीघा आराजी में से वादीगण के 1/12 हिस्से का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

वादी :– हंसराज पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी देवपुरा तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	देवपुरा	89/1	1.08	दक्षिण
कुलयोग		1 किता	1.08	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। साथ ही जमाबंदी में शेष खातेदारान की प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। इस आशय की अंतिम डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)